विभाग का नाम – पंजीयक सहकारी समितियॉ
विभाग का पता – संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

अतारांकित प्रश्न संख्याः– 133
दिनांकः– 9.8.2017
प्रश्नकर्ता का नामः– श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क	क्या यह सत्य है कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी द्वारा फखरूद्दीन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी सैक्टर–10 द्वारका में वर्ष 2004 में टुकड़ों में सदस्यों को फ्लेट आवंटित करने की अनुमति दी गई थी,	हॉ, विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2004 में टुकड़ों में सदस्यों को फ्लेट आवंटित करने की अनुमति दी गई थी।
ख	क्या यह भी सत्य है कि फ्लेटों के आवंटन नियमानुसार सोसायटी के सभी फ्लेटों के निर्माण पूरा होने के बाद किया जाना चाहिए था,	हॉ।
ग	यदि हां, तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने टुकडों में किस आधार पर आवंटन की स्वीकृति दी, इसकी विस्तृत जानकारी दें,	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सहकारी समिति की आम सभा की बैठक दिनांक 28.01.2002 में टुकडों में आवंटन का फैसला लिया गया। तत्पश्चात प्रबंध समिति ने स्वयं ऐसे प्रस्ताव को इस विभाग में भेजा जो कि पंजीयक सहकारी समिति द्वारा दिनांक 06.05.2003 को अनुमोदित किया गया।
घ	यदि टुकडों में आवंटयन करने की कोई नीति है, तो वह क्या है, सदन पटल पर रखें,	टुकडों में आंवटन की कोई नीति नहीं है। जिन सदस्यों को सोसायटी द्वारा अनुमोदित किया गया था उनकी पात्रता दिल्ली सहकारिता नियम 1973 के नियम 77 के तहत पंजीयक सहकारी समितियॉ द्वारा 30.05.2000 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार जांचने के बाद आवंटन की अनुमति दी गयी तथा निम्न श्रेणी के सदस्यों के मामलों को रोका गया था। 1. जिनके उपर सोसायटी का कुछ बकाया था। 2. जिन्होंने शपथ–पत्र तथा अन्य दस्तावे जमा नहीं किये थे। 3. जिनके खिलाफ अदालत में मामला लम्बित था।
ड.	यदि इस नीति में टुकडों में आंवटन करने की नीति है, तो सभी वरिष्ठ पात्र सदस्यों को उस ड्रा में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया,	
च	यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसके क्या कारण थे,	
छ	क्या रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी को ज्ञात था कि आर्बिट्रेटर तथा ट्रिब्यूनल तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि टुकडों में आवंटन की स्थिति में पहले वरिष्ठ सदस्यों के नाम से लॉटरी निकाली जाए,	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसा कोई आदेश जानकारी में नहीं है।
ज	क्या इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति ली गई थी, और	हॉ, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार तत्कालीन पंजीयक सहकारी समितियॉ की अनुमति ली गयी थी।
झ	यदि हां तो उसका विवरण दें ?	उपरोक्त ज के अनुसार।
य	क्या उक्त आदेशों की अवहेलना की गई है,	उपरोक्त छ के अनुसार।
ट	यदि हां तो सोसायटी तथा रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी के विरूद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?	उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसा कोई आदेश जानकारी में नहीं है।
ठ	कृप्या यह बताया जाए कि ऐसे वरिष्ठ सदसायों को जिन्हें वर्ष 2004 में आवंटन से वंचित रखा गया, उन्हें 2004 की कीमत फ्लेट आवंटित किए जाएंगे, और	इसका फैसला ग्रुप हाउसिंग समिति की आम सभा करेगी।
ड.	सरकार यह भी बताए कि इन बंचित सदस्यों की किस प्रकार क्षतिपूर्ति की जाएगी ?	उपरोक्त ठ के अनुसार। साथ ही आगामी आवंटन दिल्ली सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 77 तथा दिल्ली सहकारिता नियम 2007 के नियम 90 और अनुसूची 7 के अनुसार पात्रता जांचने के बाद किये जायेंगे।